भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1400
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियां

1400 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017 से सरकार को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कितनी न्यायिक नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) सरकार द्वारा कितनी नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई हैं ;

(ग) वर्तमान में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितनी रिक्तियां है ;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रक्रिया विषयक ज्ञापन और मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसाओं को दोहराता है, तो सरकार को कॉलेजियम की अनुशंसाओं को 3 से 4 सप्ताह में संस्वीकृत करना होगा ; और

(ङ) यदि हाँ, तो न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई और अभी तक लंबित अनुशंसाओं की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : तारीख 01.01.2017 से तारीख 06.12.2021 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए 32 सिफारिशें की थी और सभी 32 नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालय के संबंध में एससीसी ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए तारीख 01.01.2017 से तारीख 06.12.2021 की अवधि के दौरान 532 सिफारिशें की थी । तथापि, 490 सिफारीशियों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त किया गया था जिसके अंतर्गत इस अवधि से पूर्व एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सम्मलिति है । तारीख 06.12.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 01 रिक्ति है और उच्च न्यायालयों में 403 रिक्तियां हैं। वर्तमान में, 159 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच विभिन्न चरणों में है । शेष 244 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं ।

(घ) से (ङ) : सरकार को, दोहराए हुए मामलों का निपटान करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स और अन्य में तारीख 20.04.2020 के अपने आदेश में अधिकथित की गई अतिरिक्त समय-सीमा की, जानकारी है तारीख 06.12.2021 तक उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 23 मामले सरकार के समक्ष लंबित है ।

****